"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2008—कार्तिक 16, शक 1930.

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री विकास शील, भा. प्र. से. (1994), सचिव, कृषि विभाग, गन्ना आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री विकास शील अपना प्रभार श्री अवध बिहारी, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपकर कार्यमुक्त होवें.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

4. श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से (1994), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पदेन आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री के. आर. पिस्दा, भा. प्र. से. (1996), कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री सोनमणि बोराह, भा. प्र. से. (1999), कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

7. सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से. (2001), मुख्य सचिव के उप सचिव एवं उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम-4 के पैरा एक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परंतु आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन के लिए उक्त कालावधि 10 वर्ष से अनधिक होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-1/2004/1/3 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th September 2008

No. F-9-1/2004/1/3.—In exercise of the powers, conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said rules ,

After paragraph one of rule-4, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that, the said period for the office of Residential Commissioner, Chhattisgarh Bhawan, shall not be more than 10 years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-3/2008/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, विधान सभा आम चुनाव, 2008 के सिलसिले में शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 को मतदान के लिए निम्नलिखित विधान सभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है :—

सरल क्रमांक (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (2)
1.	39-सराईपाली (अ. जा.)
2.	40-बसना
3.	41-खल्लारी
4.	42-महासमुंद
5.	56-सिहावा (अ. ज. जा.)
6.	57-कुरूद
7.	58-धमतरी
8.	59-संजारी बालोद
9.	60-डौंडी लोहारा (अ. ज. जा.)
10.	61-गुंडरदेही
11.	62-पाटन
12.	63-दुर्ग ग्रामीण
13.	64-दुर्ग शहर
14.	65-भिलाई नगर
15.	66-वैशाली नगर
16.	67-अहिवारा (अ. जा.)
17.	68-साजा
18.	69-बेमेतरा
19.	70-नवागढ़ (अ. जा.)
20.	71-पंडरिया

(1)	(2)
21.	72-कवर्धा
22.	73-खैरागढ़
23.	74-डोंगरगढ़ (अ.जा.)
24.	75-राजनांदगांव
25.	76-डोंगरगांव
26.	77-खुज्जी
27.	78-मोहला-मानपुर (अ. ज. जा.)
28.	79-अंतागढ़ (अ. ज. जा.)
29.	80-भानुप्रतापपुर (अ. ज. जा.)
30.	81-कांकेर (अ. ज. जा.)
31.	82-केशकाल (अ. ज. जा.)
32.	83-कोंडागांव (अ. ज. जा.)
33.	84-नारायणपुर (अ. ज. जा.)
34.	85-बस्तर (अ. ज. जा.)
35.	86-जगदलपुर
36.	87-चित्रकोट (अ. ज. जा.)
37.	88-दंतेवाड़ा (अ. ज. जा.)
38.	89-बीजापुर (अ. ज. जा.)
39.	90-कोंटा (अ. ज. जा.)

2. क्रमांक एफ 1-3/2008/1/5.— राज्य शासन एतद्द्वारा विधान सभा आम चुनाव के सिलसिले में यह भी घोषित करता है कि शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-3/2008/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधान सभा आम चुनाव, 2008 के सिलसिले में गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को मतदान के लिए निम्नलिखित विधान सभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है :—

सरल क्रमांक (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (2)
1.	01-भरतपुर-सोनहट (अ. ज. जा.)
2.	02-मनेन्द्रगढ़
3.	03-बैकुंठपुर
4.	04-प्रेमनगर
5.	05-भटगांव
6.	06-प्रतापपुर (अ. ज. जा.)
7.	07-रामानुजगंज (अ. ज. जा.)
8.	08-सामरी (अ. ज. जा.)
9.	09-लुण्ड्रा (अ. ज. जा.)
10.	10-अम्बिकापुर
11.	11-सीतापुर (अ. ज. जा.)

(1)	(2)
12.	12-जशपुर (अ. ज. जा.)
13.	13-कुनकुरी (अ. ज. जा.)
14.	14-पत्थलगांव (अ. ज. जा.)
15.	15-लैलूंगा (अ. ज. जा.)
16.	16-रायगढ़
17.	17-सारंगढ़ (अ. जा.)
18.	18-खरसिया
19.	19-धर्मजयगढ़ (अ. ज. जा.)
20.	20-रामपुर (अ. ज. जा.)
21.	21-कोरबा
22.	22-कटघोरा
23.	23-पाली-तानाखार (अ. ज. जा.)
24.	24-मरवाही (अ. ज. जा.)
25.	25-कोटा
26.	26-लोरमी
27.	27-मुंगेली (अ. जा.)
28.	28-तखतपुर
29.	29-बिल्हा
30.	30-बिलासपुर
31.	31-बेलतरा
32.	32-मस्तुरी (अ. जा.)
33.	33-अकलतरा
34.	34-जांजगीर-चांपा
35.	35-सक्ती
36.	36-चन्द्रपुर
37.	37-जैजैपुर
38.	38-पामगढ़ (अ. जा.).
39.	43-बिलाईगढ़ (अ. जा.)
40.	44-कसडोल
41.	45-बलौदाबाजार
42.	46-भाटापारा
43.	47-धरसींवा
44.	48-रायपुर ग्रामीण
45.	49-रायपुर नगर पश्चिम
46.	50-रायपुर नगर उत्तर
47.	51-रायपुर नगर दक्षिण
48.	52-आरंग (अ. जा.)
49.	53-अभनपुर
50.	54-राजिम
51.	55-बिंद्रानवागढ़ (अ. ज. जा.)

2. क्रमांक एफ 1-3/2008/1/5.— राज्य शासन एतद्द्वारा, विधान सभा आम चुनाव के सिलसिले में यह भी घोषित करता है कि गुरुवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/5233/डी-15-116/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा धान को छोड़कर शेष सभी अधिसूचित कृषि उपजों, (जो राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित हो) के राज्य के समस्त मण्डी क्षेत्रों में प्रति सौ रुपये मूल्य पर एक रुपये की दर से मण्डी शुल्क निर्धारित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/5233/डी-15-116/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5233/डी-15-116/2004/14-2 दिनांक 13-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No./5233/D-15-116/2004/14-2.—In exercise of the powers, conferred by sub-section (1) of section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 the State Government, hereby fixes mandi fee at the rate of Rupee one on per hundred Rupees price for all notified agriculture produce (Which is produced within the state by farmers) except paddy, for all mandi areas of the state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-स. लोहारा

(ग) नगर/ग्राम-खोलवा, प. ह. नं. 56

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.085
240/3	0.015
240/4	0.063
1/2	0.101
240/6	0.135
1/3	0.121
3/7	0.008
3/19	0.045
3/27	0.125
3/14	0.089
3/9	0.045
3/2	0.053
23	0.130
24/1	0.249
21	0.016
22/1	0.024
22/2	0.101
26	0.073
27/1	0.056
27/2	0.012
27/3	0.073
29	0.126
30	0.182
259/2	0.004
31	0.004
32/3	0.061
32/4	0.061
32/2	0.008
60/5	0.054
60/4	0.174
58/4	0.012
238/3	0.004
58/5	0.060
58/3	0.012
33/1	0.006
33/2	0.047
58/2	0.125
35	0.134
56	0.021
54	0.170
55/1	0.008
55/2	0.113
92	0.141
93	0.344
94/9	0.004
94/3	0.024
94/12	0.040
94/7	0.050
95/1	0.032
95/2	0.065
95/3	0.101
237	0.300
238/1	0.101
263	0.520
262/1	0.045
262/2	0.120
262/3	0.037
262/4	0.121
261	0.040
267/1	0.110
267/7	0.120
योग 61	5.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज में दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.